राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1904 दिनांक 1.8.17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 337/2016 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान मूलाराम बनाम कानाराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 337/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण – 1. मूलाराम पुत्र बीजाराम 2.खतुदेवी पत्नि बीजाराम 3. कमलादेवी पत्नि चेतन 2.पूनमचन्द पुत्र चेतन जाति मेगवाल, निवासी पोशाल, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. कानाराम 2.हीराराम पि.आम्बाराम 3.पुरखाराम 4.हरचन्द 5.कलाराम पत्नि नारणाराम 6.चन्द्रा पुत्री नारणाराम 8.जोगाराम 9.जीवणाराम 10.खीयाराम पि.चोखाराम 11.राजोदेवी पत्नि चोखाराम 12.रामाराम 13.जुझाराम 14.जोगाराम 15.सोनाराम पि.जगमालराम 16.रूखमोदेवी पत्नि जगमालराम 17.दीपाराम पुत्र जगमालराम 18.दलाराम पुत्र वीरमाराम 19.पूर्णाराम 20.गोरधनराम 21.विरधाराम पि.हरजीराम 22.भीयाराम 23.मेघाराम 24.चूनाराम पि.दयाराम जाति जाट निवासी पोशाल, तहसील चौहटन
25.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री जगदीश पोटलिया
विप्रार्थीगण वकील – श्री अनिल गोदारा

उपखण्ड अधिकारी (SDS) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 14.6.17

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत मौजा पोशाल तहसील चौहटन में मूल खसरा सं. 11 में प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 468/11 रकबा 30.00 बीघा एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 2 का खेत खसरा सं. 464/11 रकबा 75.00 बीघा, विप्रार्थी सं. 3 से 7 का खेत खसरा सं. 466/11 रकबा 45.00 बीघा, खसरा सं. 8 से 11 का खेत खसरा सं. 463/11 रकबा 39.10 बीघा, विप्रार्थी सं. 12 से 21 का खेत खसरा सं. 465/11 रकबा 50.00 बीघा, विप्रार्थी सं. 22 से 24 का खेत खसरा सं. 467/11 रकबा 50.00 बीघा, खसरा सं. 462/11 रकबा 15.02 बीघा के आये हुए है। वादग्रस्त आराजी मूल खसरा सं. 11 की भूमि में से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को अलग अलग खातेदारी में दर्ज हुई थी। जिसकी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अलग अलग मौके पर तरमीम की गई। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते वक्त मौके पर गलत तरमीम कर दी गई। कर्मचारियों द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तरमीम करते वक्त मौके पर प्रार्थीगण के खसरा सं. 468/11 रकबा 30.00 बीघा की जगह 21.00 बीघा की तरमीम कर दी गई जो गलत है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत खसरा सं. 468/11 रकबा 30.00 बीघा का सीमाज्ञान करवाने पर खेत की तरमीम 30.00 बीघा की जगह 21.00 बीघा पाई गई। जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो पत्रावली शामिल किये गये। प्रार्थीगण वकील ने वादग्रस्त खसरों की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन को वादग्रस्त खसरों की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर तहसीलदार चौहटन से उपरोक्त के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प चौहटन में दिनांक 06.06.2017 को पेश हुई। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली कोर्ट कैम्प सणाऊ में पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। विप्रार्थीगण की ओर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो खारिज किया गया। मूल प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा पोशाल तहसील चौहटन के खसरा सं. 468/11 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6-17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ~~चौहटन~~ बिजराड़िया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फर्द मौका

आज दिनांक 17-05-2017 को राजस्व आवेदन सं. 337/16 अन्तर्गत
मूलाराम बनाम कानाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act
मे तरमीम दुरूस्ती हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन के आदेश क्रमांक/रीडर/2017/94 दिनांक 16-1-17 व श्रीमान
तहसीलदार चौहटन के आदेश क्रमांक/रीडर/2017/29 दिनांक 16-5-17
की पालना मे मौजा [illegible] प० ह० बीजराड़ के खेत नं. 468/11 रकबा
30 बीघा भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थी के कब्जे बाबत के सम्बन्ध
[illegible] प्रार्थी व विप्रार्थीगण के
मौका [illegible] हेतु पटवारी हल्का बीजराड़ प्रार्थी व विप्रार्थीगण के
[illegible] मौके पर पहुंचा व मौका जांच की गई। प्रार्थीगण के
नाम रेकर्ड मे खसरा नं. 468/11 रकबा 30 बीघा भूमि दर्ज है जिसकी
[illegible] मे तरमीम 21 बीघा है। ग्राम [illegible] के
लठा [illegible] (मूल बीजराड़) मे तरमीम [illegible] की तरमीम
लठा [illegible] जो चालू है मे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण बीजराड़
नहीं है व मूल [illegible] नम्बर [illegible] है। जबकि मूल ग्राम बीजराड़
के लठा [illegible] को पुराना है जिसके प्रार्थीगण की तरमीम 30 बीघा
की बजाय 21 बीघा है। अन्य विप्रार्थीगण [illegible] की तरमीम भी
सही नहीं है। पुराने लठा [illegible] जो [illegible] है वो नकल [illegible] है।
मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा [illegible] नक्शो के [illegible] [illegible]
मौके पर है। विप्रार्थीगण 1 से 2 कानाराम, हीराराम पि. [illegible] का
कब्जा 75 बीघा [illegible] है। विप्रार्थीगण नं. 03 व 07 [illegible]
[illegible] कानाराम पि. नारणाराम [illegible] पत्नी [illegible]
तीजो पत्नी नारणाराम का 45 बीघा [illegible] विप्रार्थीगण नं. 8 से 11
जोगाराम [illegible] खींयाराम पि. [illegible] पत्नी [illegible] का 37-10
बीघा [illegible], विप्रार्थी नं. 12 से 21 [illegible]
[illegible] पत्नी [illegible]
[illegible] का 50 बीघा [illegible]
व विप्रार्थी नं. 22 से 24 [illegible] का
50 बीघा भूमि पर [illegible] पायी गयी मौके पर कब्जा
बाबत है। मौका नक्शा संलग्न है।
फर्द मौका मौके पर बनाई गई व [illegible] गई व
हस्ताक्षर / अंगूठे करवाये गये।

पटवारी बीजराड़ 17/5/17

[illegible] 17/5/17 [illegible] बीजराड़

मूलाराम S/o [illegible] प्रार्थी

[illegible] नारायण

कानाराम [illegible] गवाह

[illegible] 17/5/17

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

[illegible] उपखण्ड अधिकारी चौहटन

चूनाराम S/o [illegible] विप्रार्थी

[illegible] / [illegible] गवाह

नक्शा ट्रेस
मौजा [illegible]
तहसील चौहटन

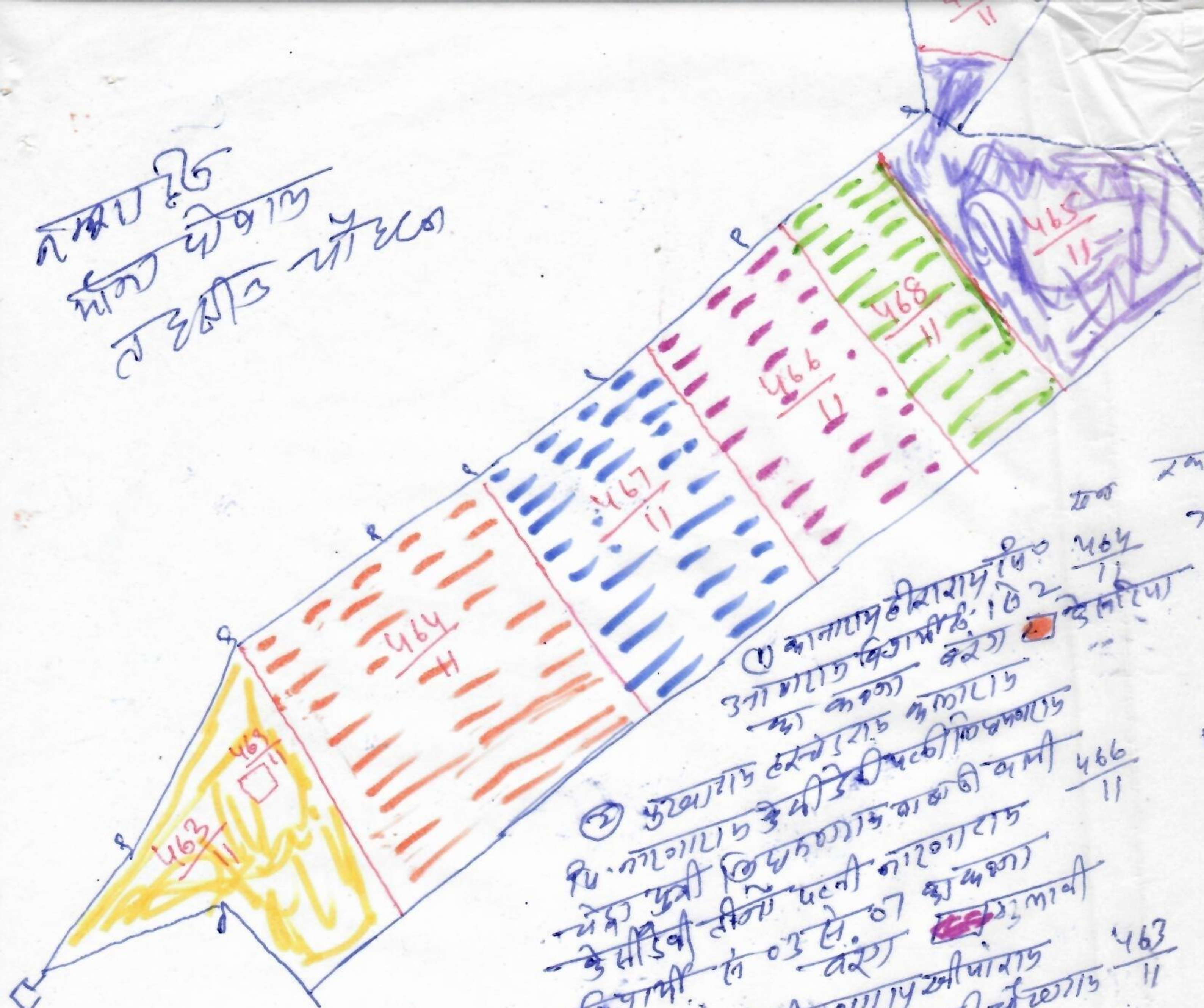

पटवार [illegible]
इन्द्राज [illegible]

(1) कानाराम हीराराम पुत्र [illegible] उगमाराम विश्नोई 1 से 2 का कब्जा करेगा ■ केसरिया 464/11

(2) पुखाराम हरचंदराम कमलाराम पि. नागाराम केसी देवी पत्नी किसनाराम चेना पुत्री किसनाराम [illegible] केसी देवी तीनों पत्नी नारणाराम विश्नोई ने 03 से 07 का कब्जा करेगा ■ गुलाबी 466/11

(3) जोगाराम जीवणाराम [illegible] देवी पत्नी चौथाराम पि. चौथाराम [illegible] विश्नोई 8 से 11 का कब्जा करेगा ■ पीला 463/11

(4) रामाराम [illegible] जोगाराम [illegible] पि. [illegible] [illegible] देवी पत्नी [illegible] पुत्र [illegible] पि. [illegible] विश्नोई 12 से 21 का कब्जा करेगा ■ बैंगनी 465/11

(5) भीयाराम [illegible] पि. [illegible] विश्नोई 22 से 24 का कब्जा करेगा ■ नीला 468/11

(6) सरकारी कब्जा करेगा □ 469

(7) प्रार्थीगण – [illegible] चेतन [illegible] कब्जा [illegible]

[illegible]

Ex count

तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

पूनाराम [illegible] (विश्नोई)

[illegible]

आंशिक नक्शा ट्रेस
मौजा बीजराड़ (पोताल)
तहसील चौहटन

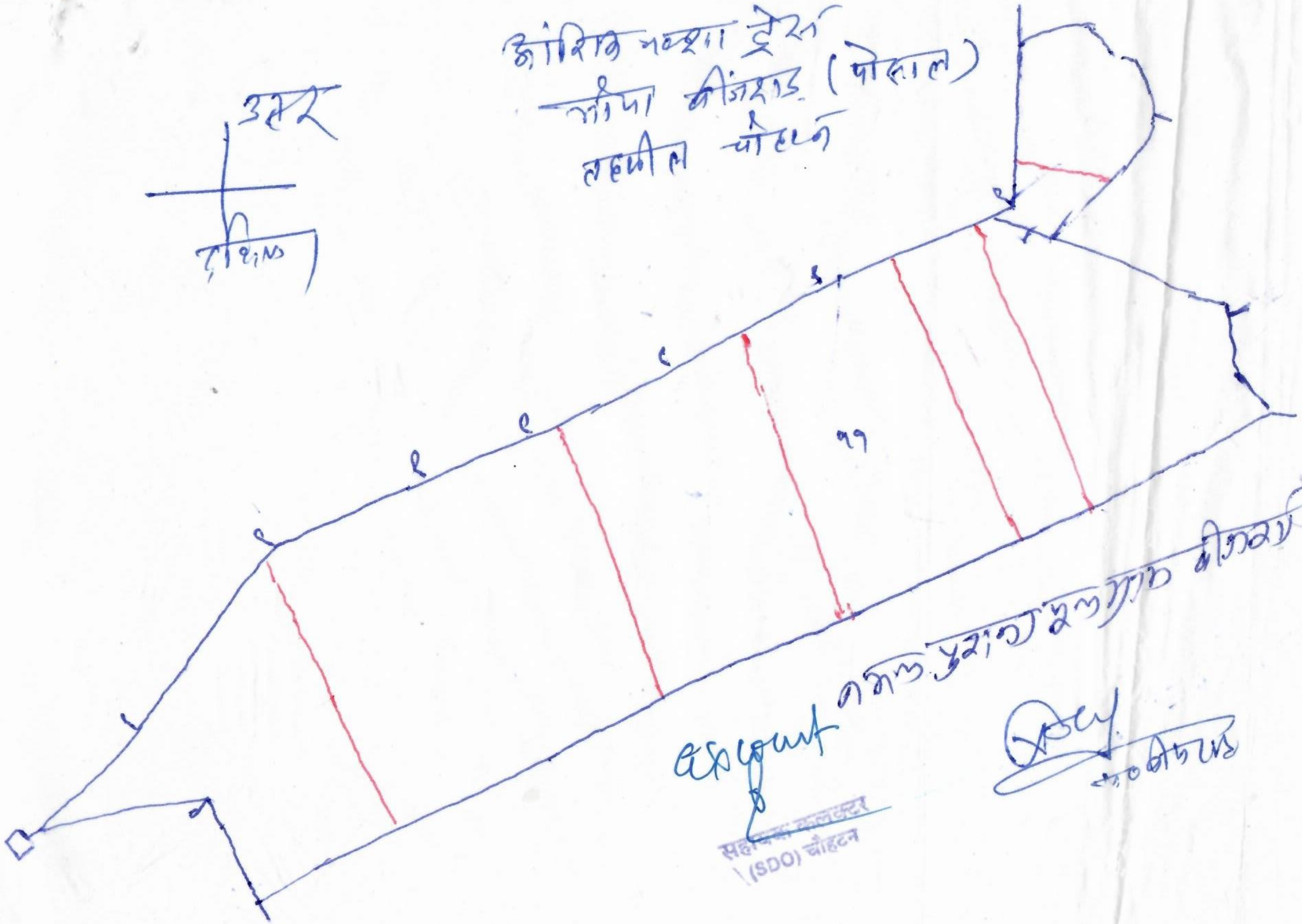

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन